

-:अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 483/2004 अवनीष मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में निर्गत मुख्य सचिव के आदेश संख्या 1528/79-2008 दिनांक 20 जुलाई 2009 के अनुसार अग्नि से सुरक्षा तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों के अनुरूप भवन का सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाना परम आवश्यक है, के अनुपालन में मुझे निरीक्षक अधिकारी द्वारा ए0सी0एन0 इंटरनेशनल स्कूल कासिमपुर पावर हाउस रोड जनपद अलीगढ़ का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार भवन प्रथम दृष्टिया भूकम्प रोधी प्रतीत होता है।


क्र० सं०	विद्यालय भवन की जाँच के बिन्दु	आख्य
1	विद्यालय भवन की अद्यतन स्थिति	सन्तोषजनक
2	विद्यालय भवन में पेयजल की स्थिति	पेयजल हेतु सबमर्सिबल उपलब्ध है।
3	विद्यालय में पहुँचने हेतु सम्पर्क मार्ग की स्थिति	मुख्य मार्ग से जुड़ा है।
4	अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र	जारी है।

(कृष्णा कुमार)
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-अलीगढ़।

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड अलीगढ़।

पत्रांक 343 / ग्रा0अ0वि0 / भूकम्परोधी / 2022-23 / दिनांक :- 23-6-2022.

प्रतिलिपि:- प्रबन्धक, ए0सी0एन0 इंटरनेशनल स्कूल कासिमपुर पावर हाउस रोड जनपद अलीगढ़ को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-अलीगढ़।